न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 11/2017 — तारीख रजू:–08.02.2017

जी0सी0एम0एस0 नंबर:–2017/00016

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. फोरंती पत्नि धर्मचंद मीना निवासी शेरसिंहपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. समजी पत्नि दिनेशचंद मीना निवासी शेरसिंहपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादीगण

बनाम

1. रामजील[illegible] [illegible]गोपाल मीना
2. बद्री पुत्र [illegible]नारायण मीना
3. मु0 कस[illegible] बेवा रामफूल मीना

निवासीयान भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:56 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित

वकील वादीगण:– श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3:–एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत् इस्तकरार हक व बेदखली

निर्णय दिनांक:– 18.02.2026

–: निर्णय :–

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि–

❖ वादी ग्राम शेरसिंहपुरा की काश्तकार पेशा महिलाऐं हैं, जबकि विपक्षीयान भेडोला के निवासी है।

❖ खाता सं. 107 की भूमि ख0नं. 30 रकबा 0.38 है0 व ख0नं. 33 रकबा 0.40 है0 ख0नं0 35 रकबा 1.30 है0 व ख0नं. 34 का रकबा 0.20 है0 है उक्त भूमि भेडोला राजस्व क्षेत्र में है उक्त भूमि गोपाल सिंह निवासी भेडोला से क्रय करने के बाद प्रार्थीयान के नाम खातेदारी अंकित हो गई तभी से उक्त भूमियों को प्रार्थीयान काश्त करती चली आ रही है इस वर्ष इसमें सरसों की फसल काश्त की है जो पकने के करीब है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

❖ विपक्षीयान लडाकू किस्म के व्यक्ति है। हमारी उक्त भूमियों को गोपाल सिंह से ओने पोने दाम पर खरीद ने के प्रयास मे थे, जिसमे सफलता नही मिलने कि वजह से वे प्रार्थीयान को आये दिन परेशान करते है ताकि हम उक्त भूमियों में काश्त करना बन्द कर दें और वे उक्त भूमियों पर कब्जा कर लेवे।

❖ दिनांक 20.12.2017 की बात है प्रार्थीयान अपने खेत खं0नं. 30 रकबा 0.38 है0 व 34 रकबा 0.20 है0 में सरसो की फसल में पानी दे रही थी तभी विपक्षीयान वहां लाठी डण्डे लेकर आये और गालियां निकालने लगे। प्रार्थीयान उक्त गॉव बहू है अतः इज्जत के डर से कुछ नही बोली। घटना के संबंध में ससुर फूलचन्द ने समझाने का प्रयास किया तो उन्होने उक्त भूमि पर कब्जा कर फसल कब्जा कर नष्ट करने की धमकी दी।

❖ प्रार्थीयान आये दिन कभी फसल में मवेशी छोडते है तो कभी खेत की मेर काटते है उनकी इन हरकतों से हम महिला काश्तकार के सामने अपने उक्त खेत व उनकी फसल को बचाने का गम्भीर संकट आ गया है। विपक्षी नं. 3 भी खं.नं. 30 की जमीन को अपने खेत में मिलाने का प्रयास कर रही है।

❖ वादीयान को अपने खेत व उससे संबंधित अधिकार को बिना कानूनी संरक्षण के नही बचा सकती ऐसे में विपक्षियान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना जरूरी है।

❖ विनाय दावा दिनांक 20.12.16 विपक्षियान द्वारा फसल नष्ट करने की धमकी देने पर पैदा हुई अतः यही विनाय दावा पैदा होकर दावा करना आवश्यक हुआ।

❖ अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इसे निम्न अनुतोष के साथ वादी के पक्ष में डिक्री करने की कृपा करें।

  - प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करे कि वे खेत खं0नं0 30 रकबा 0.38 है0 व खं0नं0 34 रकबा 0.20 है0 में वादीयान के कब्जे काश्त में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे ना ही अपने नोकर व एजेण्ट से ऐसा करवायें।
  - दौराने दावा वादीयान को उक्त खेतों मे से कब्जा दे या उसका कोई हिस्सा दबा ले तो कब्जा शुदा भूमि या हिस्से का कब्जा वादीयान को दिलवायें तथा बेदखल की गई भूमि का कब्जा वापिस तक की अवधि का मीनस प्रोफिट भी विपक्षीयान से दिलवायें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जा कर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायलय मे तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नही कियें जाने के कारण दिनांक 26.06.2019 को उनका जवाब बन्द किया गया

4. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नही कियें जाने के कारण दिनांक 12.11.2025 को उनका जवाब बन्द किया गया।

5. वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 3 में प्रतिवादीगणो द्वारा इदायत पैरवी न होना जाहिर करते हुए No Instructions किया, अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध दिनांक 09.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। इसी प्रकार वकील प्रतिवादी संख्या 2 के कई बार अनुउपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध भी दिनांक 09.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

6. वादी वकील नें साक्ष्य के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है–

- <u>पी0डब्लू–01</u>:– फोरन्ती पत्नि मीना धर्मचन्द मीना, निवासी शेरसिंहपुरा चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
- <u>पी0डब्लू–02</u>:–नेमीचन्द पुत्र फूलचन्द मीना, निवासी शेरसिंहपुरा चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
- <u>प्रदर्श–01</u>:– नक्शा ट्रेस वाके ग्राम भेडोला
- <u>प्रदर्श–02</u>:–जमाबन्दी संवत् 2069–2072 खसरा नं. 30 व 34 वाके ग्राम भेडोला

7. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होने दौराने बहस वादपत्र में अकिंत कथनों का दोहरान किया।

8. मैनें वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

9. जमाबंदी संवत् 2069–2072 खसरा नं. 30 व 34 वाके ग्राम भेडोला **(प्रदर्श–2)** के अनुसार वादीगण विवादित आराजीयात [illegible] नम्बर 30 रकबा 0.38 है0 एवं खसरा नम्बर 34 रकबा 0.20 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम भेडोला का रिकॉर्डेड खातेदार है। विवादित आराजीयात पर कब्जे के संबंध में प्रतिवादीगणों द्वारा न तो कोई साक्ष्य पेश किया है और न ही उनके द्वारा कोई प्रतिरोध किया है। गवाह पी0डब्लू–02 ने वादीगण की रिकॉर्डेड आराजीयात पर प्रतिवादीगणों द्वारा जबरन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

कब्जा करने की ताईद की हैं। इस प्रकार वादीगण की रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 0.38 है0 एवं खसरा नम्बर 34 रकबा 0.20 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाडा पर अवैध रूप से अतिक्रमी [illegible] की पुष्टि होती है।

10. उपरोक्त विवेचन के [illegible] मेरी विनम्र राय में वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

—:आदेश:—

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 0.38 है0 एवं खसरा नम्बर 34 रकबा 0.20 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाडा से प्रतिवादीगणों को बेदखल कर कब्जा वादीगणो को कब्जा समलावे। कब्जा संभलाने में नियमानुसार आने वाले खर्चे का वहन वादीगण द्वारा किया जावेगा। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को खुल न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाडा
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाडा**

1. फोरंती पत्नि धर्मचंद मीना निवासी शेरसिंहपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. समजी पत्नि दिनेशचंद मीना निवासी शेरसिंहपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र रामगोपाल मीना
2. बद्री पुत्र रामनारायण मीना
3. मु0 कसकंधा बेवा रामफूल मीना

निवासीयान भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

नम्बर मुकदमा 11 सन् 2017

दावा बाबत् हक इस्तकरार एवं बेदखली अन्तर्गत धारा 88 व 183 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से **श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट** एवं प्रतिवादीगण की ओर से **एकपक्षीय कार्यवाही** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 18.02.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 0.38 है0 एवं खसरा नम्बर 34 रकबा 0.20 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाडा से प्रतिवादीगणों को बेदखल कर कब्जा वादीगणो को कब्जा समलावे। कब्जा संभलाने में नियमानुसार आने वाले खर्चे का वहन वादीगण द्वारा किया जावेगा। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 18.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:56 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)